



Neutral Citation No. - 2026: AHC:5447

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 41698 सन् 2025

नौशाद

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- सृजन पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 / सीपीसी की धारा 439 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 224 सन् 2025, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के अंतर्गत, थाना डोगहट, जनपद बागपत में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस प्रकरण अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है और वह दिनांक 22.9.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है; उसका नाम सह-अभियुक्त के कथन में उभरा और कबूल किया गया। आवेदक के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त रिजवान को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 41261 सन् 2025 में दिनांक 8.12.2025 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक केवल एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास वाला है।

5. समस्त उन तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. **अभियुक्त-आवेदक नौशाद**, जो उक्त प्रकरण अपराध संख्या में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

पीपी